

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

प्रमाणीकरण के लिए सहमति

I. मैं एतद द्वारा सूचित करती/करता हूँ कि मुझे आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ स्व- प्रमाणीकरण करने में कोई आपत्ति नहीं है और मैं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) [पीएमएवाई (यू)] के अंतर्गत पक्के मकान का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण हेतु अपना आधार नंबर, बायोमेट्रिक और / या वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) डेटा प्रदान करने के लिए सहमत हूँ। मुझे ज्ञात है कि प्रमाणीकरण के लिए मेरे द्वारा प्रदान किये जाने वाले आधार नंबर, बायोमेट्रिक्स और / या ओटीपी का उपयोग निम्नानुसार किया जाएगा:

-

क. मेरी पहचान प्रमाणित करने हेतु एवं;

ख. पीएमएवाई (शहरी) और पीएमएवाई (ग्रामीण), ग्रामीण आवास ब्याज सब्सिडी योजना (आरएचआईएसएस) जैसी अन्य आवास योजनाओं के वर्टिकल के भीतर डी-डुप्लीकेशन के लिए।

II. मुझे ज्ञात है कि पीएमएवाई (शहरी), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार आधार आधारित प्रमाणीकरण के उद्देश्य हेतु प्रदान की गई मेरे व्यक्तिगत पहचान डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करेगी।

III. मैं एतद द्वारा घोषणा करती/करता हूँ कि इसके अंतर्गत दी गई जानकारी सही है।

नाम: _____

माक्सड आधार नंबर: _____

मोबाइल नंबर: _____

अनुलग्नक: आधार आईडी की स्व हस्ताक्षरित प्रति

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक _____

(यूएलबी / कार्यान्वयन एजेंसियां / प्राथमिक ऋणदाता संस्थान / आ.वि.कं. हेतु)

डोमेन आईडी: _____

पंजीकरण संख्या (यदि कोई हो) _____